भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2017

(2017 का 2)

फा.सं. 1–2/2017–बीएडंसीएस.–– भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना संख्या 39 के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ––

(ए) जो उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (डी) और धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक के तहत केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई, और

(बी) दिनांक 9 जनवरी, 2004 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) और 45 (ई) के तहत प्रकाशित हुआ, ––

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, नामतः–

1. (1). इस आदेश को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2017 (2017 का 2) कहा जाएगा।

   (2). यह आदेश इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (जिसे इससे आगे मूल टैरिफ आदेश कहा गया है) के खंड 1 में, उप–खंड (3) के मद (ख) के लिए, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित किया जायेंगे, नामत्ः–..

   "(ख) इस आदेश का खंड 3 इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के साठ दिन के बाद लागू होगा;

   (ग) इस आदेश के खंड 6 और 8 इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होंगे।"

3. मूल टैरिफ आदेश के खंड 10 के उप–खंड (2) में, कोष्ठक एवं शब्द **"द्वितीय"** के लिए, कोष्ठक एवं शब्द **"चौथा"** प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(सुधीर गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

नोट 1 – दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 (2017का 1) को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, के खंड 4 में अधिसूचना संख्याः 21–1/2016–बीएण्डसीएसए दिनांक 3 मार्च, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था।

नोट 2 – इस आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ (संशोधन) आदेश, 2017 के उद्देश्यों एवं कारणों की व्याख्या की गई है।

<u>अनुबंध</u>

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. सब्सक्राइबरों को संपूर्ण भारत में एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई टेलीविजन से संबंधित प्रसारण सेवाओं के लिये टैरिफ ढॉचे हेतु भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा) ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (आठवां) (एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2017 को दिनांक 3 मार्च, 2017 को अधिसूचित किया था। मूल टैरिफ आदेश का खंड 3 इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होने वाला था।

2. भादूविप्रा को कुछ हितधारकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुये जिसमे यह कहा गया कि मूल टैरिफ आदेश के खंड 1 के उप–खंड (3) का अनुभाग (ख) यह नियत करता हैं कि खंड 3, जो प्रसारकों को चैनलों के स्वरूप तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा करने के लियें अधिदेश देता हैं, इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के तीस दिन के बाद लागू होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी तरफ दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक प्रसारक को इन विनियमों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के साठ दिन के भीतर अपना आरआईओ प्रकाशित करना होगा,। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नही है कि प्रसारक अपने चैनलों के स्वरूप तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा कहां करेंगे क्योंकि आरआईओ को साठ दिन के भीतर प्रकाशित करना होगा। उन्होंने प्राधिकरण से चैनलों के स्वरूप तथा अधिकतम खुदरा मूल्य की केवल घोषणा, तथा आरआईओ के प्रकाशन को लागू करने की अधिसूचि में अस्पष्टता को दूर करने का निवेदन किया है।

3. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुये तथा मूल टैरिफ आदेश के खंड 3 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017 के विनियम 7(1) को लागू करने की तिथियों से संबंधित प्रावधानो में समरूपता लाने के लिये भादूविप्रा ने मूल टैरिफ आदेश के खंड 3 को लागू करने की तिथियों को पुर्ननिर्धारित करने का निर्णय किया है।

4. इसके अतिरिक्त, मूल टैरिफ आदेश के खंड 10 के उपखंड (2) में दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (चौथा) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 को टाइपोग्राफिकल गलती के कारण दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (द्वितीय) (एड्रेसेबल सिस्टम्स) टैरिफ आदेश, 2010 लिखा गया। इस गलती को ठीक किया गया है।

5. तदानुसार, मूल टैरिफ आदेश के खंड 1 के उप–खंड (3) तथा खंड 10 के उप–खंड (2) को संशोधित किया गया है।